भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 151

दिनांक 05.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

केरल में जल जीवन मिशन का कार्यान्वयन

***151. श्री शफी परम्बिलः**

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केरल में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण परिवारों को 31 अक्तूबर, 2024 तक कितने नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए;

(ख) उक्त मिशन के तहत केरल को कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) उक्त घरों में पीने के पानी की आपूर्ति के साथ-साथ नल जल कनेक्शन लगाए जाने के कार्य के पूरा होने की स्थिति क्या है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री

(श्री सी आर पाटिल)

(क) से (ग): उत्तर का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

केरल में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के संबंध में श्री शफी परम्बिल द्वारा पूछे गए दिनांक 05.12.2024 को उत्तर हेतु नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *151 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में सदर्भित विवरण

(क) और (ग) भारत सरकार देश के सभी ग्रामीण परिवारों को पर्याप्त मात्रा में, निर्धारित गुणवत्ता वाली और नियमित तथा दीर्घकालिक आधार पर सुरक्षित और पीने योग्य नल जल आपूर्ति के लिए प्रावधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में, भारत सरकार ने अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन (जेजेएम) शुरू किया, जिसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी में लागू किया जाना है। पेयजल राज्य का विषय है और इसलिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत आने वाली स्कीमों सहित पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव का उत्तरदायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है।

केरल राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु कार्यशील पारिवारिक नल कनेक्शन का प्रावधान करने के लिए सभी ग्रामीण जल आपूर्ति स्कीमों को अनुमोदित किया गया है और अधिकांश कार्यों के लिए निविदा आमंत्रित कर ली गई हैं। इसके अलावा, केरल राज्य सरकार द्वारा जेजेएम-आईएमआईएस पर सूचित किए गए अनुसार, 15.08.2019 को जल जीवन मिशन के शुभारंभ के समय, राज्य में लगभग 16.64 लाख ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन थे। तब से, 21.63 लाख और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 02.12.2024 तक, केरल में 38.27 लाख (54.40%) से अधिक ग्रामीण परिवारों के पास नल जल आपूर्ति का प्रावधान उपलब्ध है।

(ख) जल जीवन मिशन के तहत, पिछले पांच वर्षों (2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24) और चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 (02.12.2024 तक) के दौरान निधि आवंटन, आहरित निधि तथा केरल राज्य द्वारा संसूचित निधि उपयोग का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रुपए में)

वर्ष	केन्द्रीय					राज्य अंश के अंतर्गत व्यय
	अथ शेष	आबंटन	आहरित निधि	उपलब्ध निधि	संसूचित उपयोग	
2019-20	2.58	248.76	101.29	103.87	62.69	57.23
2020-21	41.18	404.24	303.18	344.36	304.29	311.25
2021-22	40.07	1,804.59	1,353.44	1,393.51	957.44	1,059.57
2022-23	436.08	2,206.54	2,206.54	2,642.62	1,741.93	1,741.68
2023-24	900.69	1,342.36	671.18	1,571.87	1,465.41	1,448.53
2024-25	106.45	1,949.36	974.68	1,081.13	793.07	782.04

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस

*****